राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1अम्वेडकर भवन राजमहल पेलेस के पास जयपुर

क्रमांक एफ. 1 (8)(67)पार्ट द्वितीय /सामान्य/सान्याअवि/2020/ 37593 जयपुर, दिनांक 14/07/2020

आदेश

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके नाम के आगे अंकित परीक्षाओं में वर्ष 2020–21 में बैठने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

377
14/7/2020

क्र. सं	नाम अधिकारी /कर्मचारी	पद	नाम कार्यालय जिससें सम्बन्धित है।	कक्षा
1	श्री कल्पित शर्मा	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी,	कार्यालय उपनिदेशक सान्याअवि उदयपुर	PHD.
2	श्री सुरेश फोगावट	छात्रावास अधीक्षक	निदेशालय सान्याअवि जयपुर	एम.ए. (उत्तरार्ध) राजनीति विज्ञान
3	श्री भारत भूषण नागदा	छात्रावास अधीक्षक	कार्यालय उप निदेशक,सान्याअवि उदयपुर।	(BLIS) बेचलर ईन लाईब्रेरि सांइस
4	श्री नरेश कुमार	छात्रावास अधीक्षक	कार्यालय राजकीय अम्बेडकर छात्रावास कपासन जिला चित्तौडगढ।	बी.एस.टी.सी (द्वितीय वर्ष)
5	श्री रजनीकान्त शर्मा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	निदेशालय सान्याअवि जयपुर	12वीं कक्षा

शर्ते:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित /स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अधिकारियो/कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5. जिन अधिकारियों/कर्मचारियो को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नही मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार की जिम्मेदार नही होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. अधिकारी/कर्मचारी परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अन्दर अंकतालिका निदेशालय में प्रस्तुत करेंगें।
12. परीक्षा की अनुमति प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी स्वीकृति आदेश में उल्लेखित शर्तो की पूर्ण पालना करवाना सुनिश्चित करेंगें।

13/7/20

(ओम प्रकाश बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ. 1 (8)(67) /सामान्य/सान्याअवि/2020/ 37600-12 जयपुर, दिनांक 14/07/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.उपनिदेशक/सहायक निदेशक,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.......................................।
2.अधीक्षक/सम्प्रेक्षण गृह/किशोर गृह/शिशु गृह, सान्याअवि.......................................।
3.सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी श्री.......................................।

13/7/20

(जय नारायण मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)